



UGC ने राजस्थान के तीन विश्वविद्यालयों में Ph.D. प्रवेश रोके

चर्चा में क्यों?

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने राजस्थान के तीन विश्वविद्यालयों को नए **Ph.D. छात्रों को प्रवेश देने से रोक दिया है**। यह कार्रवाई **फर्जी** और पछिली तारीख की डगिरी जारी करने के आरोपों की जाँच के बाद की गई है।

मुख्य बटु

- **प्रभावित विश्वविद्यालय:** जनि संस्थानों पर नए Ph.D. छात्रों को दाखला देने पर रोक लगाई गई है, वे हैं **OPJS विश्वविद्यालय, चूरु, सनराइज विश्वविद्यालय, अलवर और सधिनया विश्वविद्यालय, झुंझुनू**।
- **आरोप:** **UGC द्वारा नयुक्त एक स्थायी समिति** ने पाया है कि तीनों विश्वविद्यालयों ने **UGC Ph.D. वनियमों** और Ph.D. डगिरी प्रदान करने के शैक्षणिक मानदंडों के प्राधानों का पालन नहीं किया।
- **UGC की कार्रवाई:** स्थायी समिति ने अनुशंसा की है कि **UGC इन विश्वविद्यालयों को अगले पाँच वर्षों तक Ph.D. छात्रों के नामांकन से रोक सकता है**।
- **नहितार्थ:** यह घटना राजस्थान में उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर चर्चा उत्पन्न करती है।
- इसमें शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने और छात्रों के हतियों की रक्षा के लिये कठोर नगिरानी की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)

- **UGC 28 दसिंबर, 1953** को अस्तित्व में आया और **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधनियम, 1956** के तहत विश्वविद्यालय शिक्षा में शक्ति, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिये भारत सरकार का एक **सांघिकि संगठन बन गया**।
- **UGC शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है**, केंद्र सरकार **UGC में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष** और दस अन्य सदस्यों की नयुक्ति करती है।
 - अध्यक्ष का चयन ऐसे लोगों में से किया जाता है जो केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधिकारी नहीं होते।
- पात्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को **अनुदान प्रदान करने** के अलावा, आयोग उच्च शिक्षा के विकास के लिये आवश्यक उपायों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह भी देता है।
- यह नई दिल्ली के साथ-साथ अपने छह क्षेत्रीय कार्यालयों से कार्य करता है जो बेंगलुरु, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे में स्थिति हैं।
- यह **फर्जी विश्वविद्यालयों, स्वायत्त कॉलेजों, समविश्वविद्यालयों और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों की मान्यता को भी नयितरति करता है**।